न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
12/2020	धारा 212 RTA	13.03.2020	26.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
2. उप पंजीयक, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र संख्या 43/2019 अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम शक्तिसिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय दिनांक 30.01.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा तहसील चूरू के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 05.08.2019 को ता फैसला दावा पुष्ट किया गया। उक्त निर्णय की अपील संख्या 02/2020 अप्रार्थी सं. 1 द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के यहां की गई जिस अपील का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को पारित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा तहसील चूरू के सम्बन्ध में तहसीलदार/नायब तहसीलदार से मौका दिखवा कर वास्तविक मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक, चूरू से वादगत कृषि भूमि के पिछले चार वर्षों से सम्बन्धित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों का रिकार्ड मंगवाया जाकर नियमानुसार निर्णय एक माह में पारित करने का आदेश दिया गया। माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 13.03.2020 को अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए न्यायालय के निर्देशानुसार तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि के मौके की जांच कर वास्तविक मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक, चूरू को पिछले चार वर्षों में वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्रों की सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

तहसीलदार, चूरू द्वारा पटवारी हल्का खासौली से प्रश्नगत कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 रोही ग्राम रामसरा की वास्तविक वस्तुस्थिति की मौके पर जांच कर वास्तविक तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर अपनी रिपोर्ट मय मौके के छाया चित्र पत्र कमांक 625 दिनांक

25.02.2020 द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2071 से वर्तमान तक उक्त कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी रोही ग्राम रामसरा खातेदार शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत के नाम से अंकित है। मौके पर भूमि समतलीकरण की जाकर ट्रैक्टर चलाकर जुताई की हुई है। मौके पर कॉलोनी/प्लॉट काटे जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं है। उप पंजीयक, चूरू द्वारा वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित पिछले चार वर्षों में किये गये विक्रय पत्रों के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की कि इस कृषि भूमि के दो विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2019 व 08.05.2019 पंजीबद्ध किये गये हैं। उक्त विक्रय पत्रों की प्रतियां पूर्व से ही प्रार्थना पत्र के संलग्न हैं।

तहसीलदार, चूरू एवं उप पंजीयक, चूरू से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिसमें सशपथ अंकित किया कि मेरे स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर वाके रोही रामसरा तहसील चूरू में अवस्थित चली आ रही है जिस पर कब्जा काश्त मेरा स्वयं का चला आ रहा है जिसमें वर्तमान में मेरे द्वारा बाजरी की काश्त की हुई है। मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। पटवारी हल्का वा तहसीलदार, चूरू द्वारा मेरी गैर मौजूदगी में बिना किसी मौका देखे उक्त दावा पेश किया गया है। मैंने मेरी उक्त कृषि भूमि को कृषि कार्य के अलावा अकृषि कार्य में उपयोग नहीं किया है और ना ही मैं भविष्य में मेरी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग अकृषि कार्य में नहीं करूंगा जिसके लिए मैं भविष्य में अपने आपको पाबन्द करता हूं। उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब मय शपथ पत्र एवं तहसीलदार, चूरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी ने कोई अकृषि कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का समतलीकरण कर बाजरी की काश्त कर रखी है। तत्समय समतलीकरण करने पर मात्र कयास के आधार पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण दायर किया गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 से भी होती है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि को भविष्य में अकृषि कार्य में नहीं लेने का शपथ पत्र भी पेश कर दिया गया है। अप्रार्थी सं. 1 वादगत कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिससे रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ मात्र कयास के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जावे। पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि में मौके पर वर्तमान में कॉलोनी/प्लॉट काटे जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं है। मौके पर जुताई की हुई है। अतः नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली मय दस्तावेजात्, तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली के परिशीलन एवं बहस के तथ्यों पर मनन करने से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि पूर्व में खातेदार द्वारा वादगत कृषि भूमि का समतलीकरण किया गया था परन्तु वर्तमान में खातेदार द्वारा उक्त कृषि भूमि को कृषि कार्य में ही लिया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वर्तमान में मौके पर काश्त कर रखी है। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी होती है। अप्रार्थी खातेदार द्वारा भविष्य में वादगत कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग में नहीं लेने का वचन देते हुए अपने आपको पाबन्द किया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 625 दिनांक 25.02.2020 एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।

आदेश आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू